

## प्रेस विज्ञप्ति

### जनपद सोनभद्र

दिनांक-03.08.2022

## थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा चोरी का कोयला लदे कूटरचित नम्बर प्लेट वाले दो ट्रैलर को बरामद कर

### 03 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.08.2022 को थानाध्यक्ष शक्तिनगर मय हमराह के सघन चेंकिंग की जा रही थी कि रेलवे क्रासिंग पीडब्लूडी के पास दो ट्रैलर गाडी नं0 UP64T7759 व गाडी नं0 UP64T5802 ट्रैलर कोयला लदा था कागजात चेक किये गये तो वाहन के कागजात नहीं दिखा पाने तथा कोयला के सम्बन्ध में कागजात दिखाने हेतु कहा गया तो कागजात नहीं दिखाने पर चोरी का कोयला होने के शक पर अन्तर्गत धारा 102 द0प्र0सं0 के दोनों वाहनों को जब्त किया गया । दिनांक 02.08.2022 को वाहन स्वामी अवधेश शाह पुत्र लालचन्द शाह निवासी सेक्टर नं0-3 नवजीवन विहार, थाना विन्ध्यनगर, जनपद सिंगरौली (म0प्र0) को मुखबिर की सूचना पर खड़िया तिराहे के पास से हिरासत में लेकर थाने पर लाकर पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि ये गाड़िया मेरी हैं । मेरे द्वारा फर्जी कूट रचित उक्त नम्बर की नम्बर प्लेट बनाकर गाड़ियों के आगे एवं दायें-बायें चिपका कर अपने चालक सोनू यादव पुत्र मान प्रसाद यादव, निवासी ग्राम गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, म0प्र0, व बच्चूलाल यादव पुत्र केदार प्रसाद यादव, निवासी गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, म0प्र0 को ये कहकर कि चोरी का कोयला लोड कर बताये गये स्थान पर अनपरा में पहुंचाना है जिसके बदले मैं तुम्हें डबल पैसा मिलेगा बताकर बरगवां से कोयला लोड करवाकर भेजा था जो कि शक्तिनगर पुलिस ने रेलवे क्रासिंग पीडब्लूडी के पास से पकड़ लिया । उसके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरी गाड़ियों का सही नम्बर UP64AT2912 व UP64AT 4602 है जो कि मेरे भाई व पत्नी के नाम से पंजीकृत हैं । अभियुक्त अवधेश शाह की कार की तलाशी ली गयी तो सीट के नीचे से 102500/- रुपये नगद व दो अदद मोबाइल तथा चालकों के पास से 1070 रूपया नगद व दो अदद मोबाइल बरामद कर उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2022 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

### बरामदगी: -

1. दो अदद ट्रैलर फर्जी कूट रचित नम्बर UP64T7759 व UP64T5802 की प्लेट लगे हुये जिसपर चोरी का कोयला लदा हुआ है ।
2. एक अदद लाल रंग की ब्रेजा कार नं0 JH02AZ9540 ।
3. कुल एक लाख तीन हजार पांच सौ सत्तर रुपये नगद ।
4. चार अदद मोबाइल फोन ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अवधेश शाह पुत्र लालचन्द शाह, निवासी सेक्टर नं0- 3 नवजीवन विहार, थाना विन्ध्यनगर, जनपद सिंगरौली, (म0प्र0) उम्र लगभग 31 वर्ष ।
2. सोनू यादव पुत्र मान प्रसाद यादव, निवासी ग्राम गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, (म0प्र0) उम्र लगभग 20 वर्ष ।
3. बच्चूलाल यादव पुत्र केदार प्रसाद यादव, निवासी गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, (म0प्र0) उम्र लगभग 28 वर्ष ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 नागेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र ।
02. उ0नि0 वंशराज यादव, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र ।
03. आरक्षी उपेन्द्र चौधरी, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र ।